

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उन्वान

बनाम

जगदीश मनफूल आदि

दावा बाबत :- 88 87 Act

मुकदमा नम्बर :- 62/2021

निर्णय दिनांक :- 16-11-2021

वादी की ओर से वकील मुन्नीराम गौरवानी की व प्रतिवादी सं० 3 की ओर से वकील राजेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राधा के जा आवदानपुरा के खाला सं० 18/17 के खसरा सं० 257 की 1.808 हे०, खसरा सं० 253 की 2.276 कुल 4.084 हे० बारात्री खेतपुरा में कामोराम वल्द रामुराम के नाम में दिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो उक्त वर्गित वाद में कामोराम वल्द रामुराम के बजाए जगदीश वल्द रामुराम की धारणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड उर-ला किया जावे यदि क्वि मुनि के रदन हो तो रदन गुरु होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
उन्वानपुरा